

क्या नजि जानकारी का संरक्षण एक अधिकार है?

संदर्भ

केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय की पाँच सदस्यीय संवधान पीठ से कहा है कि नजि जानकारी (व्यक्तिगत आँकड़े) प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और सामाजिक मीडिया मंचों या सेवा प्रदाताओं द्वारा किसी की नजि जानकारी को साझा किये जाना, जो किसी व्यक्ति के जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) का अतिक्रमण करता हो, को वनियमि करने की आवश्यकता है।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय की पाँच-सदस्यीय पीठ एक याचिका की सुनवाई कर रही है, जिसमें फेसबुक और व्हाट्सएप के बीच 2016 में हुए एक समझौते पर यह आरोप लगाया गया है कि यह समझौता नागरिकों के नजिता के अधिकार का उल्लंघन करता है।
- हालाँकि फेसबुक और व्हाट्सएप मामले में केंद्र का रुख नौ-सदस्यीय संवधान पीठ के समक्ष आधार मामले में चल रही सुनवाई के विपरीत है, जिसमें पीठ आधार के संदर्भ में नजिता एक मौलिक अधिकार है या नहीं, इस पर विचार कर रही है।
- आधार के मामले में याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय में यह तर्क दिया था कि नजिता का अधिकार, गरिमामय जीवन जीने के अधिकार में शामिल है। अतः राज्य नागरिकों को उनके व्यक्तिगत जानकारियों को साझा करने के लिये बाध्य नहीं कर सकता है।
- आधार मामले में केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा था कि नजिता अथवा अकेले छोड़ दिये जाने का अधिकार (right to be left alone) संवधान के तहत एक मौलिक अधिकार नहीं है।

अनुच्छेद 21 क्या कहता है ?

- भारतीय संवधान का अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है। इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किये जाएगा, अन्यथा नहीं।
- सर्वोच्च न्यायालय के पछिले अनेक नरिण्यों द्वारा इस अधिकार का दायरा बढ़ा है। सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय के अनुसार इसमें शोषण से मुक्त और मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन जीने का अधिकार अंतर्नहित है।